LT. दिल्ली के राज्यपाल और अन्य

बनाम

मतवाल चंद(डी) जरिये विधिक प्रतिनिधि

(सिविल अपील नं० 3971/2006)

सितम्बर 04, 2015

[रंजन गोगई और प्रफुल्ल सी. पंत, जे.जे.]

भूमि अधिग्रहण- अधिग्रहण अंतर्गत धारा ४, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, १८९४- विषय वस्तु, शुरू में निष्क्रान्त संपत्ति- अवास अंतर्गत धारा १२ विस्थापित व्यक्तियों (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) अधिनियम, १९५४ (डीपीसीआर अधिनियम)- आगे की निलामी उत्तरदाताओं के पूर्ववर्ती के हित में- संपत्ति का अंतरिम कब्जा धारा ४ की अधिसूचना से पूर्व- बिक्री प्रमाण पत्र धारा ४ की अधिसूचना के बाद लेकिन धारा ६ की घोषणा से पूर्व- विषय वस्तु के संबंध में अवार्ड- रिट याचिका में चुनौति-उच्च न्यायालय में विषय भूमि के संबंध में अधिग्रहण कार्यवाही अवैध व शून्य घोषित किया, यह निर्धारित करते हुए कि संपत्ति, निर्वासी संपत्ति होने से, अधिग्रहण के दायरे से बाहर- अपील में, निर्धारित: विषय भूमि निर्वासी संपत्ति नहीं रही और केंद्र सरकार की संपत्ति बन गई, धारा १२ डीपीसीआर अधिनियम के अधिग्रहण के बाद और इसिलिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत

अधिग्रहण के दायरे से बाहर नहीं- यद्यपि भूमि पर स्वामित्व केंद्र सरकार में निहित है, विषय वस्तु पर एक भार पैदा हो गया और इसलिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं- केवल ऐसी संपत्ति, जिसमें सम्पूर्ण अधिकार राज्य में निहित और जिस पर कोई निजी अधिकार या भार नहीं है, भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से बाहर नहीं होगी- भूमि अधिग्रहण कानून १८९४- धारा ४- निर्वासित संपत्ति प्रशासक अधिनियम, १९५०-धारा ८- निर्वासित व्यक्ति (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) अधिनियम १९५४, धारा १२(२)(४) व (१४)।

अपील स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 धारा 8 निवार्सित संपत्ति अधिनियम, 1950 और धारा 12 (2) और (4) और 14 विस्थापित व्यक्तियों (क्षतिपूर्ति और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (डी.पी.सी.आर. अधिनियम) की स्पष्ट भाषा प्रचुर मात्रा में यह स्पष्ट करता है कि कानून के तहत निकासी संपत्ति का केंद्रिय सरकार के अभिरक्षण में सौंपना एवं विशिष्ट और पहचान योग्य प्रक्रिया है। धारा १२ डीपीसीआर अधिनियम के तहत भूमि का अधिग्रहण एक विशिष्ट और पहचान योग्य प्रक्रिया है। भूमि का अधिग्रहण धारा 12 डी.पी.सी.आर. अधिनियम तहत निकासी संपत्ति को एक सामान्य पूल में लाता है। जिसका उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत किया जाना है। दोनों अधिनियमों और उनके तहत विचार की गई योजनाओं से यह स्पष्ट है कि यह नहीं

माना जा सकता कि धारा 12 डी.पी.सी.आर. अधिनियम [पैरा-१३][358 ऐ-ई] के तहत अधिसूचना के बाद भी निकासी संपत्ति लगातार अपनी ऐसी स्थिति बनाये रखे।

१.२ इसलिए, विषय भूमि, अधिग्रहण अंतर्गत धारा 12 डी.पी.सी.आर. अधिनियम की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद निकासी संपत्ति नहीं रही। परिणामस्वरूप धारा ४ भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की अधिसूचना का छूट खण्ड, निकासी संपत्ति के दायरे से छूट देता है, दावा मामले में लागू नहीं होता है। [पैरा 14] [360-एफ]

मेजर गोपालसिंह और अन्य बनाम संरक्षक, निर्वासी संपत्ति, पंजाब और अन्य एआईआर १९६१ एससी 1320: 1962 एस. सी. आर. 328- भरोसा किया। दिल्ली प्रशासन और अन्य बनाम मदनलाल नांगिया और अन्य 2003 (10) एससीसी 321: 2003 (4) पूरक। एससीआर 360- संदर्भित किया।

2. यह केवल ऐसी भूमि हैं जिसके संबंध में सम्पूर्ण अधिकार राज्य में निहित है और जिस पर कोई निजि अधिकार का भार नहीं है जो कि भूमि अधिग्रहण के दायरे से बाहर होगी। हाजा मामले में, विषय भूमि पर एक भार पैदा हो गया, जो कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहित हो सकता है, यद्यपि भूमि का स्वामित्व क्रेंद सरकार में निहित है। [पैरा 15] [361- डी ई]

सरस्वती देवी (मृतक) द्वारा एलआर बनाम दिल्ली विकास प्राधिकारण और अन्य 2013(3) एससीसी 571:2013(4) एसीआर 922- भरोसा किया। रोशन लाल गोस्वामी बनाम गोविंद राज एआईआर 1963 पंजाब 532; शारदा देवी बनाम स्टेट ऑफ बिहार 2003(3) एससीसी 128-संदर्भित किया।

<u>संदर्भित कानून विधि</u>

2013(4) पूरक एससीआर 571	संदर्भित	पैरा 13
1962 एससीआर 328	संदर्भित	पैरा 13
2013(4) एससीआर 922	संदर्भित	पैरा 15
एआईआर 1963 पंजाब 532	संदर्भित	पैरा 15
2003 (1) एससीआर 73	संदर्भित	पैरा 15

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकारः दीवानी अपील संख्या 3971/2006

उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के डब्लू पी (सी) सं. 2677/1981 और 697/1983 में निर्णय व आदेश दिनांकित 15.04.2004 से।

रचना श्रीवास्तव, उत्कर्ष शर्मा, गरीमा अपीलार्थी की ओरर से कपिल सिब्बल, दुष्यंत दवे, सी.यु. सिंह, वीके सिब्बल, शोभा, भारत सचदेवा, अनिल कुमार, विष्णु बी. सहारिया, विदेश बी. सहारिया, सहारिया और

कंपनी, कुलदीप सिंह- प्रत्यार्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय रंजन गोगोई द्वारा दिया गया।

1. इस अपील में चुनौती दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा समान तथ्यों पर कानून के समान प्रश्न उठाने वाली दो रिट याचिकाओं में पारित दिनांक 15-04-2004 के आदेश को है। प्रतिवादी द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दे दी गई है और भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, एलए अधिनियम) के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही को अवैध व शून्य घोषित कर दिया गया है। व्यथित होकर दिल्ली प्रशासन ने हस्तगत अपील दायर की है।

२- मुख्य तथ्य संक्षिप्त दिशा निर्देश में निहित और इस प्रकार हैं: विषय भूमि, स्वीकार्त निष्क्रान्त संपत्ति थी। इसे विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 (संक्षेप में 'डीपीसीआर अधिनियम') की धारा 12 के तहत अधिग्रहित किया गया था। इसके बाद उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत संपत्ति को मुआवजा पूल में स्थानांतरित कर दिया गया। विषयगत संपत्ति को मुआवजा पूल से बाहर विस्थापित व्यक्तियों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। 6.8.1958 को आयोजित एक नीलामी में उत्तरदाताओं के पूर्ववर्तियों (बाद में उत्तरदाताओं के रूप में संदर्भित) ने उच्चतम बोली की पेशकश की जिसे 15.10.1958 को स्वीकार कर लिया गया। सत्यापित दावों के समायोजन के

बाद, उत्तरदाताओं को 15 दिनों के भीतर शेष मूल्य जमा करने के लिए कहा गया, जो किया गया था। 10.3.1959 को, अपीलकर्ता द्वारा उत्तरदाताओं को सूचित किया गया कि उनकी बोली स्वीकार कर ली गई है और संपित्त का अस्थायी कब्जा उन्हें सौंपा जा रहा है।

3- 13.11.1959 को एलए अधिनियम की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें ग्राम बसई दारापुर सहित कई गांवों में 34070 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था, जहां विषय भूमि स्थित थी। धारा 4 के तहत अधिसूचना में विशेष रूप से अधिग्रहण की सरकारी और निष्क्रान्त भूमि के दायरे से बाहर रखा गया है। धारा 4 अधिसूचना जारी होने के बाद और 6.1.1969 को धारा 6 के तहत की गई घोषणा से पहले, 25.1.1962 को विषय भूमि के संबंध में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया गया था। जो 21.2.1962 को पंजीकृत किया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि उत्तरदाताओं को 25.1.1962 से संपत्ति के खरीदार के रूप में घोषित किया जाता है।

4- 6.1.1969 को धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन के बाद, 10.1.1979 को एलए अधिनियम की धारा 9 और 10 के तहत नोटिस जारी किए गए थे। उत्तरदाताओं ने सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपना दावा दायर किया। इसके बाद 7.1.1981 को विषयगत संपत्ति के संबंध में निर्णय पारित किया गया, जिसे रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई, जिस कारण यह

अपील पेश हुई है।

5- आक्षेपित आदेश के अनुसार उच्च न्यायालय प्रतिद्वंद्वी तर्कों और डीपीसीआर अधिनियम के प्रावधानों और ऊपर दिए गए तथ्यों पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एलए की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना की तारीख पर विषय भूमि निष्क्रांत संपत्ति थी, और चूंकि उक्त अधिसूचना ने निष्क्रान्त भूमि को अधिग्रहण के दायरे से छूट दे दी थी, इसलिए पंचाट सहित अधिग्रहण की कार्यवाही अवैध व शून्य थी।

6- हमारे सामने, अपीलकर्त्ता की विद्वान वकील सुश्री रचना श्रीवास्तव ने तर्क दिया है कि विषय संपत्ति हालांकि निकासी संपत्ति है, वो धारा 12 डीपीसीआर अधिनियम के अधिग्रहण के बाद ऐसी संपत्ति नहीं रहती।

यह तर्क दिया कि उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के तहत, उप.धारा (1) के तहत, अधिसूचना के उप-धारा (1) के प्रकाशन पर, निष्क्रान्त संपत्ति में किसी निष्क्रान्त व्यक्ति के अधिकार, स्वामित्व और हित समाप्त हो जाता है और निष्क्रान्त संपत्ति पूर्ण रूप से मुक्त आकर केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। धारा 12 की उपधारा (4) के तहत अर्जित की गई ऐसी सभी निष्क्रान्त संपत्ति मुआवजा पूल का हिस्सा बन जाती है जो डीपीसीआर अधिनियम की धारा 14(2) के तहत केंद्र सरकार में निहित है। डीपीसीआर अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों को इंगित करते हुए, यह तर्क किया कि सामान्य पूल में शामिल संपत्ति किसी विस्थापित व्यक्ति

को बेची, लीज, आवंटित और अन्यथा हस्तांतरित की जा सकता है। इसलिए यह आग्रह किया जाता है कि डीपीसीआर अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत निष्क्रान्त संपत्ति अपना निष्क्रान्त संपत्ति के रूप में चरित्र खोकर निष्क्रान्त संपत्ति नहीं रहती और अधिनियम के प्रावधानों के तहत संपत्ति केंद्र सरकार में निहित रहती है। हाजा मामले में 13.11.1959 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 को छूट खंड, जहां तक निर्वासी संपत्ति का संबंध है, इसलिए, विषय संपत्ति पर लागू नहीं होता।

7- आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि वर्तमान मामले में संपत्ति के संबंध में बिक्री प्रमाणपत्र 25.1.1962 को जारी किया गया था और उसमें मौजूद संपत्ति उक्त तिथि से उत्तरदाताओं को हस्तांतरित कर दी गई थी, लेकिन ऐसा कोई अंतर्निहित विरोधाभास संपत्ति उत्तरदाताओं के हक में हस्तांरित उक्त तिथि से और संपत्ति के अधिग्रहण या अधिग्रहण की ऐसी प्रक्रिया की शुरुआत किसी पूर्व तारीख पर की जावेगी, के बीच में नहीं है। इस संबंध में इस न्यायालय के सरस्वती देवी (मृतका) द्वारा एलआर बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण और अन्य पर भरोसा करते हुए, [1] यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी द्वारा प्रस्तावित बोली, उसकी स्वीकृती और अस्थायी कब्जों का परिदान विषय भूमि पर ऐसा भार उत्पन्न करती है, जो संपत्ति अधिग्रहण अधिनियम के तहत अधिग्रहण की प्रक्रिया के अधीन है, जैसा कि सरस्वती देवी (सुप्रा) में निर्धारित किया।

8- इस न्यायालय के एक फैसले दिल्ली प्रशासन और अन्य बनाम मदन लाल नानगिया पर भी भरोसा किया। यह तर्क देने के लिए कि निष्क्रान्त संपत्ति, निष्क्रान्त संपत्ति का प्रशासन प्रशासन अधिनियम, 1950 के उद्देश्यों के लिए कस्टोडियन में निहित होती है और डीपीसीआर अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अधिग्रहण की अधिसूचना के बाद ही केंद्र सरकार में निहित होती है, उससे पूर्व नहीं।

9- डीपीसीआर अधिनियम की धारा 12 के तहत एक अधिसूचना जारी करके निष्क्रान्त भूमि को सामान्य पूल में स्थानांतरित करने से उस भूमि के चरित्र में कोई बदलाव नहीं होता है, जो निष्क्रान्त संपत्ति बनी रहती है। इसलिए यह तर्क दिया गया है कि विषय भूमि दिनांक 13.11.1959 की धारा 4 अधिसूचना के छूट खंड के अंतर्गत आती है। यह भी तर्क दिया गया है कि यदि डीपीसीआर अधिनियम की धारा 12 के आधार पर संपत्ति केंद्र सरकार में निहित है, तो यह नहीं समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार एलए अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपनी संपत्ति के अधिग्रहण की प्रक्रिया कैसे शुरू कर सकती है।

10- विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि वर्तमान मामले में दिनांक 25.1.1962 को उक्त आशय के बिक्री प्रमाण पत्र में व्यक्त शर्त के अनुसार, संपत्ति उक्त तिथि से उत्तरदाताओं के नाम पर स्थानांतरित की गई थी, न कि पूरी राशि के भुगतान की तारीख सहित किसी पूर्वकाल की तारीख से।

यह इस तथ्य के बावजूद है कि 1955 के नियमों के नियम 90 के तहत, मुआवजा पूल का हिस्सा बनने वाली संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री प्रमाणपत्र केवल हस्तांतरण को औपचारिक बनाता है, जो पूरी कीमत के भुगतान की तारीख से प्रभावी होता है। वर्तमान मामले में जारी प्रमाण पत्र में सन्निहित स्पष्ट शर्तों पर भरोसा करते हुए यह तर्क दिया गया है कि विषय भूमि 25.1.1962 तक केंद्र सरकार में निहित रही और इसलिए धारा 4 एलए अधिनियम के अनुसार दिनांक 13.11.1959 की अधिसूचना द्वारा इसका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था। उक्त तारीख उत्तरदाताओं के पक्ष में स्वामित्व के हस्तांतरण की तारीख से पूर्व की है।

11- हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, नीचे दिए गए दो प्रश्न वर्तमान मामले में निर्धारण के लिए उठते हैं।

(i)- क्या डीपीसीआर अधिनियम की धारा 12 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद भूमि, निष्क्रान्त संपत्ति नहीं रही ताकि उसे एलए अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना के दायरे से बाहर रखा जा सके?]

(ii)- यदि डीपीसीआर अधिनियम की धारा 12 के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर विषय भूमि केंद्र सरकार में निहित हो जाती है और इस तरह निष्क्रान्त भूमि नहीं रह जाती है, तो क्या केंद्र सरकार में निहित ऐसी भूमि एलए अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित की जा सकती है?

12- निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के प्रावधानों को पढ़ने से पता चलता है कि उक्त अधिनियम (हालांकि 5.9.2005 से निरस्त) निष्क्रान्त संपत्ति के प्रशासन और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया था। हालाँकि उक्त अधिनियम में परिभाषित "निष्कासित" और "निष्कासित संपत्ति" की परिभाषा निर्धारित करना आवश्यक नहीं होगा, लेकिन धारा 6 के प्रावधानों का ध्यान रखना होगा, जिसमें एक अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के तहत कर्तव्यों के निर्वहन के लिए किसी राज्य का संरक्षक की नियुक्ति पर विचार किया गया है। धारा 7 कस्टोडियन को निर्धारित तरीके से उचित नोटिस जारी करने और मामले में जांच करने के बाद किसी भी संपत्ति को निष्क्रान्त संपत्ति घोषित करने का अधिकार देती है। धारा 8 के तहत, धारा 7 के अंतर्गत निष्क्रान्त संपत्ति घोषित की गई किसी भी संपत्ति को कस्टोडियन में निहित माना जाता है। अधिनियम की धारा 9 के तहत ऐसी सभी संपत्तियों का कब्ज़ा कस्टोडियन द्वारा लिया जाना है। धारा 10 संरक्षक की शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है और इसे नीचे उपयोगी रूप से दर्शाया है।

"10- संरक्षक की शक्तियां और कर्तव्य आम तौर पर- (1) इस संबंध में बनाए जा सकने वाले किसी भी नियम के प्रावधानों के अधीन, संरक्षक ऐसे उपाय कर सकता है जो वह सुरक्षा, प्रशासन, संरक्षण के प्रयोजनों के

लिए आवश्यक या समीचीन समझता है और किसी भी निष्क्रान्त संपत्ति का प्रबंधन करना और आम तौर पर इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत उस पर लगाए गए किसी भी कर्तव्य का संतोषजनक ढंग से निर्वहन करने में उसे सक्षम करने के उद्देश्य से, उपरोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए, सभी कार्य कर सकता है और सभी आवश्यक या आकस्मिक खर्च उठा सकता है।

(2) उप-धारा (1) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाए] संरक्षक, पूर्वोक्त किसी भी उद्देश्य के लिए,-

(ए) निष्क्रमित व्यक्ति का व्यवसाय जारी रखना,

(बी) निष्क्रमित व्यक्ति की संपत्ति के लिए या निष्क्रमित व्यक्ति के किसी भी व्यवसाय या उपक्रम को चलाने के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करें और प्रबंधक को इस धारा के तहत संरक्षक की किसी भी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करें;

(सी) किसी भी निष्क्रान्त संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए किसी भी भूमि या परिसर में प्रवेश करें, या किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश करने के लिए अधिकृत करें;

(डी) किसी भी निष्क्रान्त संपत्ति को अच्छी मरम्मत में रखने के लिए आवश्यक सभी उपाय करना;

(ई) किसी भी इमारत को पूरा करेगा जो उसके पास है और जिसे

पूरा करने की आवश्यकता है;

[***]

(i) निष्क्रमणकर्ता को देय किसी ऋण की वसूली के लिए ऐसी कार्रवाई करना जो आवश्यक हो;

(जे) निष्क्रमित व्यक्ति की ओर से किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही शुरू करना, बचाव करना या जारी रखना या निष्क्रान्त व्यक्ति और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना या निष्क्रान्त व्यक्ति की ओर से किसी भी दावे, ऋण या देनदारियों से समझौता करना;

(एल) किसी भी मामले में जहां निष्क्रान्त संपत्ति जो कस्टोडियन में निहित है, उसमें किसी कंपनी में शेयर या शेयर शामिल हैं, 3 भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, प्रयोग करें, या कंपनी के एसोसिएशन के लेख, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के तहत बैठक बुलाने या अदालत में याचिका पेश करने के मामले में समान अधिकार, या एसोसिएशन के लेख कंपनी या किसी अन्य मामले में, जैसा कि निकासी शेयरधारक स्वयं कर सकता था यदि वह उपस्थित होता, हालांकि कस्टोडियन का नाम कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रकट नहीं होता है;

(ii) किसी भी मामले में जहां निष्क्रान्त संपत्ति, जो संरक्षक में निहित है, इक्यावन प्रतिशत होती है। या किसी कंपनी में अधिक शेयर होने पर, कस्टोडियन कंपनी के संपूर्ण मामलों के प्रबंधन का प्रभार ले सकता है और इस अधिनियम के तहत उसमें निहित किसी भी शक्ति के अलावा, निदेशकों की सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है। कंपनी का, इस बात के बावजूद कि ऐसी कंपनी का पंजीकृत कार्यालय उन क्षेत्रों के किसी भी हिस्से में स्थित है जिन पर यह अधिनियम लागू होता है, और इस अधिनियम या भारतीय कंपनी अधिनियम, 1913 (1913 का 7) में किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद, या कंपनी के एसोसिएशन के लेखों में:

बशर्ते कि कस्टोडियन केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कंपनी के ऐसे प्रबंधन का प्रभार नहीं लेगा;

(एम) सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण को करों, शुल्कों, उपकरों और दरों के भुगतान सहित कोई भी व्यय करना;

(एन) निकाले गए व्यक्ति को, या उसके परिवार के किसी सदस्य को या किसी अन्य व्यक्ति को, जैसा कि संरक्षक की राय में, उसका हकदार है, उसके कब्जे में मौजूद निधियों में से किसी भी राशि का भुगतान करना;

(ओ) किसी भी तरीके से किसी भी निष्क्रान्त संपत्ति का स्थानांतरण,

किसी कानून या उससे संबंधित समझौते में किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद:

बशर्ते कि कस्टोडियन, कस्टोडियन-जनरल की पूर्व मंजूरी के अलावा, किसी भी अचल संपत्ति या किसी व्यवसाय या विस्थापित व्यक्ति के अन्य उपक्रम को नहीं बेचेगा;

(पी) निष्क्रान्त संपत्ति में कोई भी गैर- निष्क्रान्त हित अर्जित करना, चाहे खरीद के माध्यम से या अन्यथा:

बशर्ते कि ऐसा कोई भी अधिग्रहण कस्टोडियन-जनरल की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा;

(क्यू) सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के तहत अपने सभी या किसी भी कार्य को ऐसे अधिकारियों या व्यक्तियों को सौंपें जिन्हें वह उचित समझे।

13- दूसरी ओर, विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे और पुनर्वास अनुदान का भुगतान करने के उद्देश्य से, अन्य बातों के अलावा, डीपीसीआर अधिनियम अधिनियमित किया गया है। डीपीसीआर अधिनियम के अध्याय III में निहित धारा 12 केंद्र सरकार को विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए निष्क्रान्त संपत्ति का अधिग्रहण करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 12, 14 और 20 के प्रावधान जो प्रासंगिक हैं, उन पर पहले ही ध्यान दिया

जा चुका है और उन्हें किसी और उल्लेख की आवश्यकता नहीं होगी। दोनों अधिनियमों के बीच प्रभाव और परस्पर क्रिया दिल्ली प्रशासन और अन्य बनाम मदनलाल नांगिया और अन्य (सुप्रा) में देखी गई है, जिसमें यह माना गया है कि निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के तहत, निष्क्रान्त संपत्ति अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसी संपत्ति के प्रशासन के प्रयोजनों के लिए कस्टोडियन में निहित होती है और उस स्तर पर संपत्ति केंद्र सरकार में निहित नहीं होती है, हालाँकि डीपीसीआर अधिनियम की धारा 12 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद संपत्ति केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। यह वास्तव में, डीपीसीआर अधिनियम की धारा 12(2) के प्रावधानों से पूरी तरह से स्पष्ट है जो पूरी तरह से प्रावधान करता है कि उप-धारा 12 (1) के तहत एक अधिसूचना के प्रकाशन पर "किसी भी निकासी का अधिकार, शीर्षक और हित" अधिसूचना में निर्दिष्ट निष्क्रान्त संपत्ति में, अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से ही समाप्त हो जाएगी और निष्क्रान्त संपत्ति सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी। धारा 12 की उप-धारा (4) के तहत अर्जित की गई ऐसी सभी निष्क्रान्त संपत्ति मुआवजा पूल का हिस्सा है, जो धारा 14 के तहत केंद्र सरकार में निहित है। "सभी बाधाओं से मुक्त और इस अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयोग की जाएगी", निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम (धारा 8) के तहत कस्टोडियन में और केंद्र सरकार में (डीपीसीआर अधिनियम के तहत धारा 12 अधिसूचना

जारी होने के बाद) संपत्ति को निहित करना दो अलग- अलग चरण हैं, जिन्हें दो अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विशिष्ट कृत्यों और सचेत निर्णयों द्वारा प्रभावी बनाने पर विचार किया जा रहा है। निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम की धारा 8 और धारा 12(2) व (4) और 14 की डीपीसीआर अधिनियम की स्पष्ट भाषा यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करते हैं कि निर्वासी संपत्ति का केंद्र सरकार के कस्टोडियन में संक्रमण करना कानून के तहत एक अलग और पहचान योग्य प्रक्रिया है। डीपीसीआर अधिनियम की धारा 12 के तहत भूमि का अधिग्रहण निष्क्रान्त संपत्ति को एक सामान्य पूल में लाता है, जिसका उपयोग अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है। विशेष रूप से, एक बार जब संपत्ति सामान्य पूल में शामिल हो जाती है और डीपीसीआर अधिनियम की धारा 16 के तहत केंद्र सरकार में निहित हो जाती है, तो केंद्र सरकार ऐसे उपाय कर सकती है जो वह ऐसी संपत्ति की प्रबंधन और निपटान के लिए आवश्यक या समीचीन समझती है। किसी विस्थापित व्यक्ति को मुआवजा पूल से संपत्ति का हस्तांतरण सहित दो अधिनियमों के स्पष्ट प्रावधानों और उनके तहत विचार की गई संबंधित योजनाओं के सामने, यह मानना मुश्किल है कि डीपीसीआर अधिनियम की धारा 12 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद भी निष्क्रान्त संपत्ति ऐसी स्थिति बरकरार रखेगी। वास्तव में उपरोक्त दृश्य मेजर गोपाल सिंह और अन्य बनाम कस्टोडियन, इवेक्यू प्रोपर्टी, पंजाब और अन्य के एक पुराने फैसले में प्रतिध्वनित होगा, हालांकि इसे कुछ अलग

संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। पैरा 9 में दिए गए प्रासंगिक विवरण नीचे दिए गए हैं।

"9. 1954 अधिनियम की धारा 12 केंद्र सरकार को आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करके विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए निष्क्रान्त संपत्ति का अधिग्रहण करने का अधिकार देती है कि उसने इस प्रावधान के अनुसरण में ऐसी निष्क्रान्त संपत्ति का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया है।..... अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि उपधारा(१) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर अधिसूचना में निर्दिष्ट संपत्ति में किसी भी निष्क्रान्त व्यक्ति का अधिकार, स्वामित्व या हित तुरंत समाप्त हो जाएगा और वह संपत्ति सभी बाधाओं से मुक्त होकर पूरी तरह से केंद्र सरकार में निहित हो जाएगी। निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 के तहत कस्टोडियन की शक्ति, किसी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को आवंटित करने या किसी व्यक्ति के पक्ष में मौजूदा आवंटन को रद्द करने की शक्ति इस तथ्य पर निर्भर करती है कि संपत्ति उसके पास निहित है। लेकिन किसी भी संपत्ति या संपत्ति के एक वर्ग के संबंध में धारा 12 (1) विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1950 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन का परिणाम धारा 8 निर्वासी सम्पत्ति के प्रबंधन अधिनियम, १९५० से आने वाली सम्पत्ति में संरक्षक के अधिकार

को छिनना और उस सम्पत्ति को केंद्र सरकार में निहित करना होगा। इसलिए, वह, ऐसी सम्पत्ति को, दोनों अधिनियमों में से, किसी में भी किसी भी तरह के प्रावधानों के अभाव में निपटने में सक्षम नहीं होगा। दोंनों अधिनियमों में से किसी भी अधिनियमों में से हमारे सामने एेसा कोई प्रावधान नहीं बताया गया है, जिसमें केंद्र सरकार में सम्पत्ति निहित हो जाने के बाद संरक्षण उसे निपटाने में सक्षम ठहरता हो। १९५४ के अधिनियम की धारा १२ की उपधारा ४ प्रावधान करती है कि सभी निर्वासी सम्पत्ति जिसको उक्त धारा के तहत अधिग्रहित किया गया हो, मुआवजा पूल का हिस्सा बन जाएगी। अधिनियम की धारा 16(1) के तहत केंद्र सरकार को ऐसे उपाय करने का अधिकार है जो वह मुआवजा पूल की सुरक्षा, प्रबंधन और निपटान के लिए आवश्यक या समीचीन समझती है। धारा १६ की उपधारा २ केंद्र सरकार को ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करने या ऐसे प्राधिकरण या निगम का गठन करने का अधिकार देता है जो वह मुआवजा पूल का हिस्सा बनने वाली संपत्तियों के प्रबंधन और निपटान के उद्देश्य से उचित समझे।

धारा 19 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी भी अनुबंध या किसी अन्य कानून में निहित किसी भी बात के बावजूद, लेकिन अधिनियम के तहत बनाए जा सकने वाले नियमों के अधीन, प्रबंध अधिकारी या प्रबंध निगम किसी भी आवंटन आदि को रद्द कर सकता है, जिसके तहत कोई

भी निर्वासी संपत्ति जो कि अधिनियम के तहत अधिग्रहित की गई हो, किसी व्यक्ति के पास है या उस पर कब्जा है, चाहे ऐसा आवंटन या पट्टा अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में दिया गया हो। इस प्रकार यह प्रावधान अधिनियम के तहत अर्जित निष्क्रान्त संपत्ति से निपटने की शक्ति केवल अधिनियम के तहत नियुक्त या गठित प्रबंध निगम के प्रबंध अधिकारी को प्रदान करता है और निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम के तहत नियुक्त कस्टोडियन का कोई उल्लेख नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, निष्क्रान्त संपत्ति प्रशासन अधिनियम की धारा 10 के तहत कस्टोडियन को निष्क्रान्त संपत्ति का प्रबंधन करने का अधिकार है और अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए वह ऐसी संपत्ति को किसी भी व्यक्ति को आवंटित करने या उसके पक्ष में किए गए आवंटन या पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम होगा। इस तथ्य के अलावा कि 12(1) विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर, संपत्ति निष्क्रान्त संपत्ति नहीं रह जाएगी, संरक्षक की उपरोक्त शक्तियां 1954 अधिनियम की धारा 19 द्वारा को प्रदत्त शक्तियों अधिनियम के तहत गठित प्रबंध व्यक्ति और निगम के साथ संघर्ष में होंगी।

14- उपरोक्त के मद्देनजर यह माना जाना चाहिए कि डीपीसीआर अधिनियम की धारा 12 के तहत अधिग्रहण की अधिसूचना के प्रकाशन के बाद विषय भूमि निष्क्रांत संपत्ति नहीं रह गई है। नतीजतन, धारा 4 के

तहत जारी अधिसूचना में निष्क्रान्त भूमि को इसके दायरे से छूट देने वाला छूट खंड वर्तमान मामले में लागू नहीं होगा।

15- यह हमें दूसरे प्रश्न पर लाएगा जिसे वर्तमान अपील में उत्तर के लिए तैयार किया गया है। सरस्वती देवी [सुप्रा] में अनंतिम कब्जे की डिलीवरी के प्रभाव के संबंध में मुद्दे पर विस्तृत विचार पर, जो वर्तमान मामले में उच्चतम बोली के अनुमोदन पर उत्तरदाताओं को सौंप दिया गया था, यह माना गया कि ऐसा अनंतिम कब्जा नीलामी क्रेता को ऐसा अधिकार देता है, जो नीलाम की गई संपत्ति में स्वामित्व अधिकार, मालिकाना अधिकारों से भिन्न हैं। रोशन लाल गोस्वामी बनाम गोबिंद राज [4] में पंजाब उच्च न्यायालय के एक फैसले में दिए गए उपरोक्त प्रस्ताव को इस अदालत ने यह कहते हुए मंजूरी दे दी थी कि अनंतिम कब्जे की डिलीवरी से उत्पन्न होने वाले ऐसे मालिकाना अधिकार संपत्ति पर एक भार पैदा करते हैं जो एलए अधिनियम के तहत अधिग्रहण का विषय हो सकता है। वर्तमान मामले में भी तथ्य समान होने के कारण, हमें यह मानना होगा कि विषय संपत्ति में एक बाधा पैदा की गई थी, जैसा कि सरस्वती देवी (सुप्रा) में निर्धारित किया गया था, एलए अधिनियम के तहत हासिल किया जा सकता था, हालांकि भूमि में स्वामित्व केंद्र सरकार में निहित था। इस संबंध में हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरह से इस न्यायालय के पहले फैसले को शारदा देवी बनाम बिहार राज्य [5]

में सरस्वती देवी (सुप्रा) में समझा गया है, अर्थात्, यह एकमात्र ऐसी भूमि है जिसके संबंध में जिसके संपूर्ण अधिकार राज्य में निहित हैं और जिस भूमि पर कोई निजी अधिकार या बाधा नहीं है जो एलए अधिनियम के दायरे से बाहर हो।

16- उपरोक्त चर्चाओं के मद्देनजर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि वर्तमान अपील में चुनौती के तहत उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश कानून में टिकाऊ नहीं है। इसलिए, हम इसे अलग रखते हैं और इस अपील को स्वीकार करते हैं।

कल्पना के. त्रिपाठी अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री मुजफफर चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकारणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्येश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आपराधिक उद्येश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्येश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।